पत्रांक-बाढ़(मो०)सिं०वि०-04/2025 2267

**बिहार सरकार**

**जल संसाधन विभाग**

प्रेषक,

ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना।

**फैक्स/**
**ई-मेल**

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
मुजफ्फरपुर।

/पटना, दिनांक-02-06-2026

**विषयः-** **Two-Laning of Muzaffarpur-Sonbarsa Section Of NH-77 from Km 2.80 to Km 89.00 in the State of Bihar Under NHDP-III on DBFOT (Annuity) Basis. Request for Permission for De-silting of River Bagmati at Kataujha (Janadh) Reg. के संबंध में।**

**प्रसंगः-** **आपका पत्रांक-1853 दिनांक-05.05.2026**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के क्रम में सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रून्नीसैदपुर प्रखंड में बागमती नदी पर अवस्थित कटौझा पुल के समीप चिन्हित शोल से गाद निकासी हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के साथ दिया जाना सुनिश्चित किया जायेः-

1. सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड-रून्नीसैदपुर में बागमती नदी पर अवस्थित कटौझा पुल के समीप चिन्हित शोल, जिसकी सीमा बिन्दु (A) Lat-26.349133 Long-85.485841, (B) Lat-26.347849 Long-85.486194, (C) Lat-26.347589 Long-85.485775, (D) Lat-26.347222 Long-85.485609, (E) Lat-26.346858 Long-85.485877, (F) Lat-26.346438 Long-85.485029 (संलग्न Schematic Diagram/Index Map में चिन्हित) से ही गाद की निकासी की जायेगी।
2. प्रस्तावित बिन्दु से गाद निकाला जायेगा वहाँ कम से कम LWL या उससे अधिक level (Bed level) तक एक समान समतल रूप से गाद निकालना आवश्यक होगा।
3. गाद निकालने से पहले या बाद में नदी के मुख्य धारा को अवरूद्ध नहीं करना होगा।
4. नदी edge से 500 मी० की दूरी के आगे से ही गाद निकाला जा सकेगा तथा गाद की निकासी इस प्रकार से की जाएगी कि एक Continuous channel का निर्माण हो तथा नदी की जल वहन क्षमता में वृद्धि हो सके।
5. नदी में गाद उड़ाही की पूर्ण लम्बाई में प्री-लेवल लेकर पोस्ट लेवल निर्धारित करना आवश्यक होगा तथा इसका सत्यापन जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से कराना आवश्यक होगा।
6. गाद निकासी का कार्य न्यूनतम 2H:1V के स्लोप कराना होगा।
7. उड़ाही में निकले मिट्टी बालू का खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार को Royality एवं Seigniorage Fee की राशि का भुगतान NHAI द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
8. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे किसी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटाने की जिम्मेवारी NHAI की होगी।
9. गाद निकासी के दौरान नदी पर बने पुल एवं अन्य संरचनाओं की सुरक्षा की जबावदेही NHAI की होगी।
10. गाद निकासी का कार्य बाढ़ अवधि में नहीं किया जाएगा।
11. संबंधित क्षेत्रीय अभियंताओं के देख-रेख में ही गाद निकासी का कार्य करना होगा।

12. गाद निकासी के दौरान अन्य आवश्यक कार्य जो जल संसाधन विभाग के मापदण्ड के अनुरूप होगा, उसे प्रयोक्ता विभाग द्वारा करना होगा।

13. नदी की Morphology को अक्षुण रखा जायेगा।

14. कार्य के दौरान नदी तटबंध पर उत्पन्न किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति की जिम्मेवारी NHAI की होगी।

15. कार्य प्रारंभ एवं समाप्ति की सूचना NHAI द्वारा संबंधित विभागीय कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को ससमय दिया जाएगा।

16. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र सिर्फ जल संसाधन विभाग की तरफ से है एवं अन्य विभागों यथा खान एवं भूतत्व विभाग/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र अलग से प्राप्त की जाएगी।

17. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा। विभाग की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताये विषयाधीन कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रदद् करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

18. कार्य के दौरान यदि जल संसाधन विभाग या पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग अथवा अन्य सरकारी संस्थान/आयोग द्वारा कोई अतिरिक्त निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन NHAI द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।

19. कार्य प्रारंभ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात ड्रोन फोटोग्राफ/विडियो NHAI द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को समय-समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता इनका संधारण कर पाक्षिक रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

20. गाद निकासी के दौरान निकाले गए गाद की मात्रा से संबंधित कार्यपालक अभियंता/अधीक्षण अभियंता को NHAI द्वारा विहित प्रपत्र में समय-समय पर अवगत कराना आवश्यक होगा (विहित प्रपत्र संलग्न)। जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा विहित प्रपत्र में संधारित कर पाक्षिक रूप से मुख्यालय में उपलब्ध करायेंगे।

21. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 तथा बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) (संशोधन) नियमावली 2024 तथा खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत अन्य, परिपत्रों/अधिनियमों/संकल्पों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। उक्त संबंध में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही अग्रेतर कार्रवाई किया जाना होगा।

22. गाद निकासी का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना-S.O. 1223(E) दिनांक-17.03.2025 के परिशिष्ट-XIV में निर्धारित SOP के अनुरूप संबंधित जिला की समिति की अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यपालक अभियंता इसके अनुपालन से आश्वस्त होने के उपरांत ही गाद निकासी की अनुमति देंगे।

23. उपरोक्त शर्तों का अनुपालन नहीं होने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र रदद् करते हुए विभाग द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

अनु०- 1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना-S.O.1223(E) दिनांक-17.03.2025

2. उपरोक्त कंडिका-20 में निहित विहित प्रपत्र।

विश्वासभाजन

01/5/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-बाढ़(मो०)सिं०वि०-04/2025- 2267 पटना/दिनांक-02-06-2026

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

01/6/26

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-बाढ़(मो०)सिं०वि०-04/2025- 2267 पटना/दिनांक-02-06-2026

प्रतिलिपि:-अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, सीतामढ़ी /कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल, रून्नीसैदपुर, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु प्रेषित।

01/6/26.

(ब्रजेश मोहन)
अभियंता प्रमुख